87

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 114-तीन/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-12-2006- पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 10/2006-07 अपील

1- श्रीमती सम्पत देवी पत्नि रामनिहाल सिंह
2- श्रीमती रणूसिंह पत्नि दिवाकर सिंह
निवासीगण ग्राम महुरछ कन्देला
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रेणू सिंह पत्नि प्रभाकर सिंह
ग्राम महुरछ कन्देला
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17-7- 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 10/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 121/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2006 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 10/06-07

अपील में पारित आदेश दिनांक 20-12-2006 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान का आदेश दिनांक 30-9-2006 निरस्त कर दिया। तदुपरांत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत हुआ कि उनके आदेश दिनांक 20-12-06 के विरूद्ध 'निगरानी प्रस्तुत करने हेतु समय लगने के कारण आदेश दिनांक 20-12-06 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाय। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-06 से 90 दिवस का स्थगन प्रदान किया, जिस पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन देकर मांग की गई कि अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-06 से 90 दिवस का दिया स्थगन रिक्त किया जाय। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 10/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2006 से धारा 32 का आवेदन पर्याप्त आधार न होने के कारण अमान्य कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 10/2006-07 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26-12-2006 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने अंतरिम आदेश दिनांक 22-12-06 से 90 दिवस का स्थगन दिया है और यह 90 दिवस की अवधि को समाप्त हुये 11 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है जिसके कारण निगरानी व्यर्थ हो चुकी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी व्यर्थ हो जाने से निष्फल है जो इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर